राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 88/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/133
दायर दिनांक– 21.9.2022
निर्णय दिनांक– 13.07.2024
उनवानी–

1. गणपत पुत्र स्व. भंवरलाल
2. राधेश्याम पुत्र स्व. भंवरलाल
3. नानुराम पुत्र स्व. भंवरलाल
4. केलम पुत्री स्व. भंवरलाल

सर्वजाति बावरी, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तह0 रूपनगढ़

......प्रार्थीगण

बनाम

1. लालू पुत्र स्व. विरदा
2. गोपाल पुत्र स्व. विरदा
   सर्वजाति बावरी, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तह0 रूपनगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
4. उप पंजीयक रूपनगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:

1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी सं. 1 व 2

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक होने के कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम त्योद पटवार हल्का त्योद भू0अ0नि0 क्षेत्र भदूण तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 523 के ख0न0 576 रकवा 1.6665 है0 व ख0न0 1347/570 रकवा 0.0809 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7474 है0 व खाता संख्या 519 के ख0न0 570 रकबा 0.1860 है0 तथा खाता संख्या 522 के ख0न0 574 रकवा 2.2409 है0 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 निहित है। प्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी मे हिस्सा 1/3 पर मौके पर काबिज काश्त अपने पूर्वजों के समय से निर्बाध रूप से निरन्तर करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण का उनके जीवनकाल तक कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण के फोत होने पर उनके हिस्से की आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है इस प्रकार वर्णित हिस्सा आराजी पर विगत 40–42 वर्षो से लगातार कब्जे काश्त में है एवं प्रार्थीगण के पूर्वज एवं प्रार्थीगण के अथाह परिश्रम करके एवं धन व्यय करके उक्त कृषि भूमि को क़ाफी उपजाऊ बनाया है तथा मकान का निमार्ण करवाया है तथा प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरा पुत्र नारायण ने उनके जीवनकाल में ही अपने हिस्से की 1/3 [illegible] आराजी पर स्वयं के खर्चे से एक ट्यूबवेल खुदवा कर उक्त पर स्वयं के भंवरा पुत्र [illegible] नाम से विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन लिया तथा प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल [illegible] जीवनकाल तक उनके हिस्सा 1/3 की आराजी पर काबिज काश्त होकर [illegible] कार्य क[illegible] हुए कृषि विद्युत कनेक्शन का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं एवं वहीं पर [illegible] निवास कर[illegible] था भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण के फोत होने पर उनके [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा का[illegible]श्त होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है एवं वही पर निवास करते है एवं अपने मवेशी रख[illegible]आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वज पिता भंवरलाल पुत्र नारायण बावरी निवासी ग्राम त्योद के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता विरदा पुत्र बलदेव बावरी निवासी ग्राम त्योद ने एक 5 रूपये के स्टाम्प पर आपसी सहमति से खेत में हिस्से की पाती का स्वरू गवाहान के समक्ष दिनांक 9.7.1981 संवत् 2038 को निष्पादित किया गया था तथा जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

बिरदा पुत्र बलदेव बावरी के द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि " मेरे नाम खातेदारी की जमीन 35 बीघा 16 बिस्वा है जिसमें से आज दिन राजी खुशी मैंने तीन हिस्से कर दिये है जिसमें से एक हिस्सा मैंरा खुद का है व एक हिस्सा भंवरलाल वल्द नारायण बावरी व एक हिस्सा सुवा वल्द बलदेव बावरी को दे दिया है इस जुज्य खेतो की पांती की गई है तथा हमारे खेतो की भाई पाती की गई है एवं कब्जा संभाल दिया गया था तब से ही प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल पुत्र नारायण अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण को भाई पाती में कृषि भूमि प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज बिरदा के फोत होने के पश्चात उनके वारिसान द्वारा एक तहरीर प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में लिखी गयी थी जिस पर उनके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी हैं उक्त तहरीर में बिरदा के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी प्रार्थीगण के पूर्वज पिता भंवरा पुत्र नारायण के नाम करवाने में सहमति दी गयी थी। प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरलाल उर्फ भंवरा पुत्र नारायण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज पिता बिरदा पुत्र बलदेव के फोत होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के पूर्वज के हिस्से की भूमि भाई पाती में आयी हुई को प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने की सहमति देने के पश्चात कई बार आश्वासन देने के बाद भी आज दिनांक तक नाम नही करवायी गयी है जबकि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के पूर्वज के हिस्से में आई भाई पाती की जमीन जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज पिता उनके जीवनकाल तक काबिज काश्त थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है की आराजी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कई बार कहा जाता रहा है उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नही करवा रहे है। प्रार्थीगण अपने पूर्वज पिता के हिस्से में भाई पाती में आयी उक्त आराजी में लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है इस कारण से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार सृजित हो गये है। इसलिए प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की खातेदारी आराजी में से हिस्सा 1/3 की प्रार्थीगण के नाम खातदेरी उदघोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। दिनांक 02.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्सा अधिकार की पूर्वजों की भाई पाती में आयी उक्त आराजी में ब्लात् अतिचार करने पर आमादा हो गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी गयी कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 1, 2 के द्वारा उसका बैचान, अन्तरण.हस्तान्तरण करके प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे एवं प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अधिकार की आराजी में कृषि कार्य करने, उपयोग उपभोग में बाधा, रूकावट, कारित कर रहे है, ट्यूबवेल व उस पर लगे विद्युत कनेक्शन हटवाने का प्रयास करने के कारण से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनके परिवारजन, सगे संबंधी, एजेन्ट, अभिकर्ता आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में कृषकीय कार्य में, ट्यूबवेल व विद्युत कनेक्शन, मकान आदि का उपयोग उपभोग करने किसी तरह की बाधा, रूकावट, अड़चन पैदा नहीं करे एवं वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजी का रहन, बैचान, बख्शीश, अन्तरण, हस्तान्तरण आदि नही करे एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी कें उपयोग–उपभोग में कृषकीय कार्य में, ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन के उपयोग–उपभोग में, मकान जिसमें निवास करने में बाधा, रूकावट, व्यवधान कारित नही करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं उनके परिवारजन, सगे संबंधी, एजेन्ट, अभिकर्ता आदि को जरिये ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे व अप्रार्थी संख्या संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद वर्णित आराजी का रहन, बैचान, बख्शीश, हस्तान्तरण नहीं करे एवं अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा वाद वर्णित आराजी के रहन, बैचान, बख्शीश आदि के अन्तरण, हस्तान्तरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 3 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई [illegible] वाद पाबंद फरमाया जावें।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] कर प्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल [illegible] अप्रार्थी [illegible] व 2 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व [illegible] किया कि वाद वर्णित ख0न0 576, 1347/570, 570 की भूमि में वादीगण [illegible] अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण का ख0न0 576, 1347/570, 570 के 1/3 हि[illegible] पर कोई कब्जा काश्त 40–42 वर्षो से नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त ख0न0 576, 1347/570, की भूमि में 1/2 हिस्सा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। वादग्रस्त ख0न0 574 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 47/554 हिस्सा है एवं कब्जा काश्त है। शेष भूमि पर अन्य काश्तकार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण के पिता का विद्युत कनेक्शन वादग्रस्त ख0न0 574 की भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर स्थित है। वाद वर्णित भूमि बिरदा वल्द बलदेव के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि नही है। इस आधार पर तहरीर दिनांक 9.7.1981 संवत् 2038 का कोई विधिक महत्व नही है। बिरदा वल्द हरदेव को वादग्रस्त ख0न0 576, 1347/570, 570 व 574 की भूमि बाबत् किसी भी प्रकार सहमति/प्रलेख किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादन करने का कानूनन् अधिकार नही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त ख0न0 576, 1347/570, 570 की भूमि पर किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार सृजित नही होता है। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक हक व अधिकार के वादग्रस्त ख0न0 576, 1347/570, 570 की भूमि बाबत् घोषणा का वाद पेश किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावें। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब में राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण के पूर्वज पिता भंवरलाल पुत्र नारायण बावरी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता बिरदा पुत्र बलदेव बावरी ने 5 रूपये के स्टाम्प पर आपसी सहमति से खेत में हिस्से की पाती का रूबरू गवाहानं के समक्ष दिनांक 09.07.1981 को लिखा गया सहमति पत्र की प्रतिलिपि व जमाबंदी प्रतिलिपि ग्राम त्योद के खाता संख्या 523 के ख0न0 1347/570, 576 व खाता संख्या 522 के ख0न0 574 एवं खाता संख्या 519 के ख0न0 570 संलग्न की गयी है।

अतः समस्त अवलोकन मनन करने के उपरान्त न्यायायय की दृष्टि में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि ग्राम त्योद के ख0न0 576, 1347/570, 570 व 574 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि के बैचान, रहन अन्तरण आदि नही करने हेतु व अप्रार्थी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु व अप्रार्थी संख्या 4 को को वादग्रस्त भूमि के पंजीयन नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)